



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1946 (श10)

(सं0 पटना 1208) पटना, सोमवार, 16 दिसम्बर 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

9 दिसम्बर 2024

आदेश संख्या 3/एम0-22/2023-19702/सा0प्र0—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-19379 दिनांक-01.11.2022 द्वारा भवन निर्माण विभाग के "ए0सी0 पर्यवेक्षक" के पद को उक्त संकल्प की अनुसूची में मात्र एक वर्ष तक संविदा नियोजन के लिए तथा पुनः आदेश संख्या-21430 दिनांक-21.11.2023 द्वारा अगले एक और वर्ष तक संविदा नियोजन के लिए संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया गया था।

3. प्रशासी विभाग के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत भवन निर्माण विभाग के "ए0सी0 पर्यवेक्षक" के पद को संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है।

फलस्वरूप उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित आदेश तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

4. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)1208-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>